एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन मिशन

उद्देश्य-

1- मृदा संरक्षण और जल संरक्षण व संवर्धन।
2- वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि।
3- संरक्षित एवं कुशल प्रबंधन।
4- कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि।
5- संवहनीय आजीविका के सृजन हेतु श्रमजन्य रोजगार के साथ-साथ
6- रोजगार के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन।
7- दौड़ते हुए पानी को धीमा करना (जिससे मृदा क्षरण रोका जा सके
8- धीमी गति के पानी को रोकना (जिससे सतही जल की उपलब्धता एवं
9- भू-जल स्तर को बड़ाया जा सके)
10- पड़ती भूमि और बेकार भूमि को उपजाऊ बनाना (जिससे कृषि भूमि को
11- बड़ाया जा सके)
12- स्वसहायता समूहों का गठन, संचालन एवं आय मूलक गतिविधि की
13- स्थापना (जिससे पारिवरिक आय सुनिश्चित की जा सके)
14- जैविक खेती को बड़ावा (जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहे)
15- भूमि की उर्वरक क्षमता एवं जलवायू के आधार पर फसलों का चयन
16- (जिससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके)
17- भूमिहीन एवं बेरोजगार युवकों/युवतियों का समूह बनाकर क्षमता वंर्धन कर
18- स्वरोजगार स्थापना (जिससे बाजार की उपलब्धता एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके)

चयन का आधार :-

1- सतही जल से सिंचीत क्षेत्र का प्रतिशत कम हो।
2- पेयजल की समस्या हो।
3- पड़त भूमि ज्यादा हो।
4- भूमि की उत्पादकता कम हो।
5- गरीबों का प्रतिशत ज्यादा हो।
6- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की बहुलता हो।
7- भूमि क्षरण का प्रतिशत अधिक हो।

कार्य चरण :-

कार्य चरण में रिस्ट-टू-वेली कि सिद्धान्त के आधार पर जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो का क्रियान्वयन जिसमें मुखयत :-

(अ) कंटूर ट्रेंच, पत्थर बंधान, मेढ़ बंधान, स्टाप डेम, चेक डेम, तालाब निर्माण, पुरानी संरचनाओं का सुधार आदि कार्य किए जाएगे।

(ब) वानस्पतिक आच्छादन वृद्धि के लिए घास उत्पादन, वृक्षारोपण एवं उद्यानकी से संबंधित कार्य।

(स) कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि हेतु कृषि में आधूनिक तकनीकी का समावेश स्थानीय विशिष्टाओं के अनुरूप वर्तमान कृषि उत्पादन प्रणाली का संवर्धन जिसमें जैविक खेती, उपयुक्त कृषि उत्पादन प्रणाली, बीज परिवर्तन, मृदा जलवायू, उपलब्ध संशाधनों के आधार पर फसल चयन।

(द) 1. संवहनीय आजीविका के सृजन हेतु स्व सहायता समूह के माध्यम से परिक्रामी निधी उपलब्ध कराकर आजीविका संबंधी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन, बेकवर्ड एवं फारवर्ड, संयोजन और कार्यकलाप का संचालन।

2.स्थानीय आवश्यकताओं एवं बाजार उपलब्धता के आधार पर लद्यु उद्योगों का कार्यान्वयन, ग्राम स्तरीय संगठन जेसे- उपयोगकर्ता दल, स्व सहायता समूह के प्रशिक्षणों और भ्रमण के माध्यम से कौशल उन्नयन।

समेकन चरण :-

(अ) वाटरशेड कार्य चरण में विकसित किए गए संशाधनों और सृजित संरचनाओं/परिसंपत्तियों से प्राप्त हो रहे लाभों और ग्रामीण समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

(ब) विकसित प्राकृतिक संशाधनों का उपयोगकर्ता समूह के माध्यम से रखरखाव सुनिश्चित करना, परियोजना का समाज को हस्तांतरण करना एवं एक्जीट प्रोटोकॉल की कार्यवाही पूर्ण करना।